न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 73/2019
प्रविष्टि दिनांक 18–9–2019

1–रामफूल पुत्र श्री केसरा जाट निवासी ग्राम बारेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2–नाथू पुत्र श्री केसरा जाट निवासी ग्राम बारेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट्स

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 16–8–2019

उपस्थिति : (1) श्री दोतलराम चोधरी अपीलान्ट्स
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 22–2–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 16–8–2019 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी–3 भूमि में से 3 बिस्वा वाके ग्राम बारेड़ा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 5 रूपये पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभापक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स को तहसीलदार निवाई द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट्स की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये एक तरफा में निर्णय पारित किया [illegible] भूमि खसरा नम्बर 484 के अड़वा ही अपीलान्ट्स की खातेदारी व कब्जे की भूमि [illegible] जिसमें ही अपीलान्ट्स ने अपना मकान बना रखा है। पटवारी हल्का ने भूमि का [illegible] ज्ञान नहीं करके अपीलान्ट्स के मकान को उक्त खसरा नम्बर 484 [illegible] बारेड़ा में स्थित होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

रंजिशवश व दुर्भावना पूर्वक रिपोर्ट की है। तहसीलदार ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलान्ट्स को जिरह का अवसर नहीं दिया और हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि बाबत रिपोर्ट की है उस रिपोर्ट को आधार बना कर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा सजायाब करने में गल्ती की है। अपीलान्ट्स के अभिभाषक का यह भी कथन है कि तहसीलदार ने अपीलान्ट्स को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाऐं क्रमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अपील का निर्णय एकतरफा में पारित किये जाने पर अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी दिनांक 12-9-2019 को पुलिसकर्मी द्वारा परिवारजनों के पास आया और उसने निर्णय के बारे में बताया तब तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया और नकल दिनांक 13-9-2019 को सायकाल प्राप्त कर अपील करने में देरी को कण्डोन करने के लिए मय प्रार्थना पत्र दफा 5 के साथ पेश कर रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स ने ग्राम बारेड़ा तह० निवाई की आराजी खसरा नम्बर 484 कुल रकबा 07.08 बीघा किस्म बारानी-3 भूमि में से 0.03 बीघा भूमि पर रामफूल, नाथू पुत्र केसरा जाट निवासी बारेड़ा ने पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलान्ट्स को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की विधिवत तामील हुई है अतिक्रमी रामफूल तहसीलदार निवाई के समक्ष उपस्थित भी हुआ है। किन्तु उसके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया। इस भूमि पर अपीलान्ट्स ने पहले भी अतिक्रमण किया था इनको विगत वर्ष सम्वत 2073 में खसरा नम्बर 484 से निर्णय दिनांक 9-11-2016 की पालना में ग्रामवासियों एंव भू०अ० निरीक्षक सिरस के समक्ष बेदखल किया गया था किन्तु अतिक्रमियों द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं० 1065/16 से बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट्स सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलान्ट्स ने आराजी खसरा नम्बर 484 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी-3 भूमि में से 3 बिस्वा वाके ग्राम बारेड़ा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है किन्तु अपने बचाव पक्ष में कोई प्रतिउत्तर पेश नहीं किया है। अपीलान्ट्स रामफूल व नाथू पुत्र [illegible] बारेड़ा तह० निवाई ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश [illegible] कि मेरा भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा किस्म [illegible] काश्त नहीं है मेरा जो प्लाट बना हुआ है व उक्त नम्बर 474/572 [illegible] हुआ है मैने उक्त वर्णित आराजी से मेरा कब्जा हटा लिया है तथा मौके पर मेरा कोई कब्जा नहीं है और न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

भविष्य में उक्त आराजी में कब्जा करूँगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–8–2019 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि तहसीलदार निवाई अपीलाण्ट्स द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार विवादित भूमि की सीमाज्ञान कर मौके की जॉच करें ओर यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिकमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिकमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22–2–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर ★ टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner